न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 942 सन 2026

(CNR No. UPFT–010024592026)

दीपक अवस्थी पुत्र देवेन्द्र उर्फ देव नारायण अवस्थी निवासी पपरेंदा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 19 सन 2026
धारा: 331 (4), 317 (2) एवं
305 भारतीय न्याय संहिता
थाना: जहानाबाद,जनपद फतेहपुर।

02.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्त दीपक अवस्थी की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 19 सन 2026 धारा 331(4), 305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री अमित कुमार तिवारी चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा पृथक इस आशय का प्रार्थनापत्र जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया गया है कि उसका कोई पैरोकार नहीं है जिस कारण वह शपथपत्र जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नहीं कर पा रहा है और उसके जमानत प्रार्थनापत्र को ही शपथपत्र के रूप में पढ़ा जाय।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अरूण कुमार पाण्डेय ने दिनांक 22.02.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक 21.02.2026 को कानपुर से अपने गांव आया तो उसके दरवाजे का कुंडा टूटा था, अन्दर रखे वजन लगभग 1.50 कुन्तल घरेलू बर्तन अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री अमित कुमार तिवारी एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक को चोरी करते हुए मौके पर नहीं पकड़ा गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामजद नहीं है और प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कथित बरामदगी फर्जी है। आवेदक की पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। आवेदक पर कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया और न ही आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध बनता है। आवेदक दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा दिनांक 25.02.2026 को आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्त लल्लू सोनकर के साथ गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से पीतल के सात अदद थाली, 19 अदद लोटा, एक अदद बटुली, 09 अदद कटोरी, चार अदद खोरवा व एक गिलास बरामद किया गया जो प्रस्तुत प्रकरण में वादी के घर से चोरी गये बर्तन है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने वादी के घर से बर्तन चोरी किया। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 21.02.2026 को वादी को कानपुर से गांव आने पर उसके दरवाजे का कुंडा टूटा होने एवं अन्दर रखे घरेलू बर्तन वजन लगभग 1.50 कुन्तल अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लेने का उल्लेख किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार पुलिस बल द्वारा दिनांक 25.02.2026 को

आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्त लल्लू सोनकर के साथ गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से बर्तनों की बरामदगी किया जाना एवं उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गये बर्तन होना बताया गया है किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, उसमें वह जमानत पर है और उसे किसी भी मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त लल्लू सोनकर की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और आवेदक/अभियुक्त का मामला भी उन्हीं के समान है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा, समानता के आधार को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दीपक अवस्थी की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

7. आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह की दो तारीख को सम्बन्धित थाने में हाजिरी देगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनांक: 02.06.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.03 13:00:13 +05'30'